

एकमुश्त समाधान योजना (OTS)- 2026



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के डिफाल्टर आवंटी ध्यान दें!

यदि हों तो,

समझदारी दिखाइए, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2026 का लाभ उठाइए और हमेशा के लिए निश्चित हो जाइए क्योंकि (OTS) 2026 योजना आपके लिए एक सुनहरा और अंतिम अवसर है

योजना निम्न प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होगी

- योजना समस्त प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों पर लागू होगी, चाहे व आवंटन पद्धति ये या नीलामी पद्धति से आवंटित हो।
- समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओटीएस योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित सम्पत्तियों भी सम्मिलित होंगी।
- विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चौरीटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियों पर
- अन्य समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा पद्धति से आवंटित हो
- सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों पर
- मानचित्र डिफाल्टर्स के प्रकरणों में।

योजना के आकर्षण

- आवंटियों द्वारा आवेदन आफ लाईन/ऑनलाईन दोनों प्रकार के आवेदन की सुविधा।
- त्वरित निस्तारण (आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा)
- ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य एस. एम. एस. ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।
- ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा, अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।



- क्या आप अपनी समस्त देनदारियों का एकमुश्त समाधान चाहते हैं?
- क्या आप दण्ड ब्याज से पूर्ण मुक्ति चाहते हैं?
- क्या आप समस्त देनदारी आसान मासिक किस्तों में देना चाहते हैं?
- क्या आप वसूली की कानूनी कार्यवाही से बचना चाहते हैं?
- क्या आप आवंटन निरस्तीकरण से बचना चाहते हैं?

आवेदन अवधि:-

दिनांक: 18.04.2026 से दिनांक: 17.07.2026 तक

आवेदन निस्तारण की अन्तिम तिथि:

दिनांक 16.10.2026

- यदि आवंटी द्वारा किसी कारणों से ओ.टी.एस. की सम्पूर्ण धनराशि उपर्युक्त बिन्दु संख्या (1) व (2) के अनुसार कुल 04 माह/07 माह में जमा नहीं की जा सकी है तो अवशेष ओ.टी.एस. की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त दण्ड ब्याज लेते हुये उक्त अवशेष धनराशि जमा करने हेतु आवंटी को 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। उक्त अतिरिक्त अवधि में ओ.टी.एस. की सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने की स्थिति में ओ.टी.एस. निरस्त माना जायेगा।
- डाउन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 9 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत की दर से (कुल 11 प्रतिशत) साधारण दण्ड ब्याज देय होगा।
- ओ.टी.एस. में आगणित सम्पूर्ण देय धनराशि को मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एकमुश्त (Upfront) जमा करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि पर 03 प्रतिशत की छूट होगी।

आवेदन कैसे करें

आवंटियों द्वारा आवेदन आफ लाईन/ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना का आवास बन्धु की वेबसाइट www.awasbandhu.in के पर जाकर आवेदन करें।

जिन डिफाल्टरों का ओटीएस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

नन्द किशोर कलाल

आई० ए० एस०

उपाध्यक्ष गा.वि.प्रा.